माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी 2477-II-15

निर्मला शुक्ला, उम्री 80 वर्ष, पत्नी स्व. श्री एस.एन. शुक्ला, पेशा गृहकार्य, निवासिनी एम.आई.जी. 29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदाबाग रीवा, तह. हुजूर, जिला–रीवा, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. रश्मि सिंह धर्मपत्नी दुष्यंत सिंह, पेशा गृहकार्य, निवासिनी सिविल लाइंस रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा, (म.प्र.)
2. साधू प्रसाद पिता रामविशाल, निवासी ग्राम खम्हरिया सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा, (म.प्र.)
3. भूतल परिहवन विभाग, भारत सरकार, जरिये कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग, हाइवे नं. 7, रीवा, (म.प्र.)
4. शासन मध्यप्रदेश जरिये जिलाध्यक्ष रीवा, जिला–रीवा, (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.), जो उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 24 / अ–70 / 2014–15 में दिनांक 06.07.2015 को पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी, अन्य के अतिरिक्त, निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

निर्मला शुक्ला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग–2477 / दो / 2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश निर्मला शुक्ला / रश्मिसिंह	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी एव अनावेदक अधिवक्ता श्री कुंअर बहादुर सिंह उपस्थित। आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता को प्रकरण में दिनांक–9.10.15 को, प्रकरण केम्प न्यायालय रीवा में सुने जाने एवं अनावेदक कमांक–2 एवं 3 की उपस्थिति बावत् प्रस्तुत आवेदन पत्रों तथा प्रकरण में विद्यमान निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर सुना गया । प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं आवेदन पत्रों तथा आवेदन पत्रों के संबंध में प्रस्तुत लिखित जबाव के माध्यम से किए गये निवेदन पर विचार किया गया । विचारोपरांत चूंकि प्रकरण ग्वालियर मुख्यालय पर प्रस्तुत किया गया है एवं प्रकरण में कार्यवाही एवं सुनवाई प्रकरण प्रस्तुत होने के दिनांक से मुख्यालय पर ही हो रही है तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण मुख्यालय ग्वालियर में ही सुने जाने का अनुरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में रीवा केम्प पर प्रकरण की सुनवाई किए जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किया जाता है । प्रकरण में निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें तहसीलदार के उक्त आदेश को निरस्त करने एवं आवेदिका को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करने का निवेदन किया गया है। आवेदिका की ओर से किए गये निवेदन के संदर्भ में तहसीलदार के आदेश दिनांक 06.07.2015 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने आवेदिका के धारा 32 के आवेदन दिनांक 16.6..15 को जिसमें आवेदिका के द्वारा दिनांक 22.5.2015 को की गयी एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया गया था, को तहसीलदार द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क	

निर्मलाशुक्ला / रोशनसिंह

शैवा

R-2477/III/15

हेतु नियत किया गया ।

आवेदिका की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन दिनांक 16.6.15 को तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2015 से निरस्त कर प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर आवेदिका को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.07.2015 विधिविरूद्ध एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदिका एवं अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिसंगत आदेश पारित करें। इसके साथ ही आवेदिका एवं अनावेदिका को भी यह निर्देश दिए जाते है कि वे इस आदेश की संसूचना के तीस दिवस के भीतर संबंधित पीठासीन आधिकारी तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। आवेदिका द्वारा निर्धारित समयावधि में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन न करने की स्थिति में यह माना जावेगा कि वे अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। प्रकरण में तदनुसार संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

8.12.15

सदस्य